रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2016/फाल्गुन 6, 1937
No. 512] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2016/PHALGUNA 6, 1937

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2016

सं. 09/2016

**का.आ. 595(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; और

(ख) सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज ;

2. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. वह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; नामित :-

(क) मध्य प्रदेश राज्य ऐड्स नियंत्रण सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) मध्य प्रदेश ऐड्स सोसाइटी के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश ऐड्स सोसाइटी अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा ।

[फा. सं. 196/73/2012-आयकर नि-।]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक